

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 2 SUB-SECTION (ii) OF THE
EXTRAORDINARY GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
RAJIV GANDHI BHAWAN, NEW DELHI

20 November, 2014

NOTIFICATION

S.O.... whereas AT-72-500 aircraft VT-JCS belonging to M/s Jet Airways was involved in a two serious incidents at Hyderabad on 07.06.2014 and Bangaluru on 13.06.2014. Another aircraft AT-72-600 VT-JCZ of M/s Jet Airways Ltd. was involved in similar serious incident at IGI airport, New Delhi on 14.08.2014.

And whereas, it appears to the Central Government that it is expedient to investigate and determine the causes and contributory factors leading to the above serious incidents and make recommendations to avoid recurrence of such serious incidents in future.

Now, in the exercise of the powers conferred by the Rules 11(1) of the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2012, the Central Government hereby directs that a formal inquiry of the said serious incidents be held.

The Central Government is pleased to appoint a Committee of Inquiry with the following members:

- | | | |
|------|--------------------------------------------|----------|
| (i) | Shri R.S. Passi, DY. Director, AAIB | Chairman |
| (ii) | Ms. Shilpy Satia, Air Safety Officer, AAIB | Member |

The Committee will also take the assistance of other experts/agencies whenever required.

The headquarters of the Committee will be at New Delhi.

The Committee will complete its inquiry and submit its report to the Central Government preferably within three months



(Arun Kumar)
Joint Secretary to Govt. of India

No.AV.15018/01/2014-DG

(भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खण्ड 2, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली

20 नवंबर, 2014

अधिसूचना

सा.आ.....जबकि मैसर्स जेट एयरवेज़ का एटी-72-500 विमान वीटी-जेसीएस की दो गंभीर घटनाएं 07.06.2014 को हैदराबाद तथा 13.06.2014 को बेंगलुरु में, हो गई थी। मैसर्स जेट एयरवेज़ लिमिटेड का दूसरा विमान एटी-72-600 वीटी-जेसीजेड 14.08.2014 को आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली में इसी प्रकार की गंभीर घटना का शिकार हो गया था।

और जबकि, केन्द्र सरकार को प्रतीत होता है कि इसकी जांच करना और उपर्युक्त गंभीर घटनाओं के कारणों एवं सहायक कारणों को सुनिश्चित करना और ऐसी सिफारिशें करना समीचीन है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

अब, केन्द्र सरकार वायुयान (घटनाओं और दुर्घटनाओं की जांच) नियमावली, 2012 के नियम 11(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उपर्युक्त गंभीर घटनाओं की औपचारिक जांच किए जाने का निदेश देती है।

केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित सदस्यों सहित एक जांच समिति नियुक्त की है:-

- | | | |
|------|----------------------------------------------------|---------|
| (i) | श्री आर. एस. पासी, उप निदेशक, एएआईबी | अध्यक्ष |
| (ii) | सुश्री शिल्पी सातिया, हवाई संरक्षा अधिकारी, एएआईबी | सदस्य |

समिति आवश्यकतानुसार अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों की सहायता भी लेगी।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

समिति अपनी जांच-पड़ताल पूरी कर इसकी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को अधिमानतः तीन महीने के भीतर सुपुर्द करेगी।



(अरुण कुमार)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सं०: एवी.15018/20/2014-डीजी